न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 16/2026 बउनवानी कैलाश चन्द वर्मा बनाम उपजिला कलेक्टर स0मा0
निवासी–बी–23 जय जवान अपार्टमेंट विधाधर नगर सै.1 जयपुर 302039

GCMS No-2026/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
25.2.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 3.12..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रथम अपील अधिकारी एवं कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा आवेदक से सम्बन्धित प्रथम अपील निर्णय पत्रांक 2312–13 दिनांक 26.9.2025 एवं पत्रांक 2611 दिनांक 14.10.2025 की प्रमाणित प्रति एवं प्रथम अपील निर्णय की पालना मे की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति** " उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःसू0का0अ0/2026/158 दिनांक 12.02.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12..2025 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1330 दिनांक 10.11.2025 एवं जरिये पत्रांक 148 दिनांक 6.2.2025 से अपीलान्ट को उक्त सूचना पुनः भिजवायी जा चुकी है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को दो बार उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner